झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
चतुर्थ सत्र
वर्ग–2

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 01 पौष, 1937 (श0) / 22 दिसम्बर,2015 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभाग को भेजी गई तिथि
1	2	3	4	5	6
26	उत–06	श्री जानकी प्रसाद यादव	इंटर महाविद्यालय बनाना ।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	14.12.15
27	वन–01	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	वन रोपन संरक्षण की जानकारी देना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	14.12.15
28	टन–07	श्री जयप्रकाश सिंह भोक्ता	पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराना ।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	14.12.15
29	शि–19	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	विद्यालय को स्थापित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
30	उत–08	श्री साधु चरण महतो	छात्रावास का निर्माण ।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा	14.12.15
31	शि–03	श्री योगेन्द्र प्रसाद	अंशकालीन शिक्षकों का भुगतान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.15
32	ख–01	श्री फूलचन्द मण्डल	खनन् पट्टा मुहैया कराना	खनन् एवं भूतत्व	14.12.15
33	उत–01	श्री कुणाल षड़ंगी	महिला महाविद्यालय प्रारंभ करना	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा	14.12.15
34	उत–05	श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	14.12.15
35	शि–11	श्री जानकी प्रसाद यादव	पारा शिक्षकों का सरकारीकरण ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
36	शि–09	श्री अरूप चटर्जी	उच्चस्तरीय समिति से जाँच कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15

1	2	3	4	5	6
37	टन–03	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण ।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	14.12.15
38	शि–08	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	प्रबंधकों पर कार्रवाई करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
39	टन–08	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	14.12.15
40	शि–05	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय भवन का सुदृढ़िकरण ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
41	उत–04	श्री राजकुमार यादव	महिला कॉलेज खोलना ।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा।	14.12.15
42	शि–12	श्री संजीव सिंह	विद्यालय को विकसित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
43	वन–02	श्री ताला मराण्डी	प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्रवाई करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	14.12.15
44	वन–03	श्री साधु चरण महतो	मुआवजा का भुगतान।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	14.12.15
45	शि–10	श्री आलमगीर आलम	मानदेय देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
46	उत–03	श्री आलोक कु0चौरसिया	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा	14.12.15
47	उ–01	श्री शिवशंकर उराँव	मध्य एवं छोटे उद्योगों की स्थापना।	उद्योग सुधार तथा राजभाषा	14.12.15
48	शि–18	श्री पौलुस सुरीन	विद्यालय को +2 में उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
49	शि–07	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	वित्त सहायता प्रदान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
50	शि–04	श्री रामकुमार पाहन	शिक्षकों की व्यवस्था।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.15
51	ख–03	श्री ताला मराण्डी	व्यय की जानकारी देना।	खान एवं भूतत्व	14.12.15
52	शि–15	श्री जयप्रकाश सिंह भोक्ता	शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
53	टन–04	श्री राज् सिन्हा	स्पॉटस कम्पलेक्स का निर्माण।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	14.12.15
54	शि–17	श्रीमती निर्मला देवी	टेट पास का रिजल्ट प्रकाशित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
55	टन–05	श्री दशरथ गागराई	सामुदायिक भवन का निर्माण।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	14.12.15
56	उ–02	श्री रामकुमार पाहन	लघु उद्योग की स्थापना।	उद्योग	14.12.15
57	टन–06	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	14.12.15

कृ0पृ0उ0

1	2	3	4	5	6
	58–उत–02	श्री अनन्त कुमार ओझा	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना ।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा	14.12.15
	59–शि–13	श्री नागेन्द्र महतो	स्कूल भवन का निर्माण ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
	60–ख–02	श्री प्रकाश राम	बाक्साईट खनन् समस्या का निदान करना।	खान एवं भूतत्व	14.12.15
	61–उ–03	श्री जगरनाथ महतो	कल कारखाना की स्थापना।	उद्योग	14.12.15
	62–उत–07	श्रीमती विमला प्रधान	शिक्षा की व्यवस्था करना।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा	14.12.15
	63–शि–14	श्री विकास कुमार मुण्डा	लंबित वेतन का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
	64–शि–16	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
	65–टन–02	श्री मनोज कुमार यादव	स्टेडियम का पूर्ण निर्माण कराना ।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	10.12.15
	66–टन–01	श्री मनोज कुमार यादव	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	10.12.15
	67–शि–01	श्री फूलचन्द मण्डल	वेतन का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.15
	68–शि–06	श्री जगरनाथ महतो	सरकारी शिक्षक बहाल करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.12.15
	69–शि–02	श्री चम्पाई सोरेन	शिक्षकों की पदोन्नति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	10.12.15

रांची
दिनांक–22 दिसम्बर,2015 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– (प्रश्न–03/2015– 3134 /वि0स0,रांची,दिनांक– 21/12/2015

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/15
(संजय कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–03/2015– 3134 /वि0स0,रांची,दिनांक– 21/12/2015

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/15
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–03/2015– 3134 /वि0स0,रांची,दिनांक– 21/12/2015

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/15
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर /

(26)

3348

18/12/2015

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -उत-06

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 10 किलो मीटर की दूरी पर एक इंटर महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गयी है कि 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत राज्य संपोषित उच्च विद्यालय वर्षो पुराना विद्यालय है, और इंटर महाविद्यालय की सारी अर्हताएँ पूरी करता है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि इसके 25 किलोमीटर की परिधि में कोई भी इंटर महाविद्यालय नही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन विद्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित +2 विद्यालय, जय नगर है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में परसाबाद राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय को इण्टर महाविद्यालय बनाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् भारत सरकार को 168 उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने हेतु अप्रैल, 2015 में ही अनुरोध किया जा चुका है। 168 विद्यालयों में प्रश्नाधीन विद्यालय भी सम्मिलित है। विभागीय पत्रांक 549 दिनांक 03.12.2015 द्वारा जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर +2 विद्यालय की सुविधा प्राप्त कराने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में प्रश्नाधीन विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार के उप सचिव। 18/12/15

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–153/2015 3348 दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

(27)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स० वि० स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य पौधा रोपण एवं वन संरक्षण संबंधी कार्य होता है	स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि वन महोत्सव के नाम पर प्रतिवर्ष प्रत्येक जिलावार लाखों रुपये खर्च किया जाता है;	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वन महोत्सव हेतु प्रत्येक प्रमंडल को वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1.20 लाख रुपये एवं 2015–16 में 1.50 लाख रुपये दिये गये।
(3) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक जिला में सरकारी खर्च पर पौधा रोपण एवं वन संरक्षण संबंधी कार्य किया जाता है परंतु जमीन पर कोई भी खर्च नजर नहीं आता है,	अस्वीकारात्मक है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रतिवर्ष जिलावार किये गये खर्चों एवं कार्यों का ब्यौरा देने का विचार रखती है, यदि तो कब तक, नही तो क्यों ?	सरकार द्वारा प्रमंडलवार गत दो वर्षों में वृक्षारोपण पर किये गये खर्चों एवं कार्यों का विवरण (अनु0–1) संलग्न है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–73/2015– 6405 वनम, राँची, दि०– 21/12/2015

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2955 दिनांक–14.12.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/12/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रमंडलवार रोपित पौधों की संख्या एवं व्यय की गयी राशि की विवरणी

क्र. सं.	वन प्रमण्डल (नाम)	रोपित पौधों की संख्या	माह 21 दिसम्बर, 2015 तक व्यय की गयी राशि
i	ii	iii	si
हजारीबाग रीजन			
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	293300	194.990
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	210000	171.638
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	260000	231.206
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्र0	310000	266.493
5	कोडरमा वन प्रमण्डल	426600	176.948
	कुल :–	**1499900**	**1040.275**
बोकारो रीजन			
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल	263000	218.281
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	429600	246.530
3	धनबाद वन प्रमण्डल	310299	286.490
4	बोकारो वन प्रमण्डल	259000	233.508
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल	259000	143.981
	कुल :–	**1520899**	**1128.789**
मेदिनीनगर, पलामू रीजन			
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	509300	408.535
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	155500	148.794
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	259000	198.750
4	लातेहार वन प्रमण्डल	408000	315.240
	कुल :–	**1331800**	**1071.319**
जमशेदपुर रीजन			
1	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	478600	633.148
2	सरायकेला वन प्रमण्डल	575294	319.969
3	चाईबासा वन प्रमण्डल	291300	790.232
4	कोल्हान वन प्रमण्डल	5000	
5	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	5000	
	कुल :–	**1355194**	**1743.349**
दुमका रीजन			
1	दुमका वन प्रमण्डल	295300	236.759
2	देवघर वन प्रमण्डल	210000	161.957
3	गोड्डा वन प्रमण्डल	343300	239.084
4	जामताड़ा वन प्रमण्डल	130000	111.689
5	पाकुड़ वन प्रमण्डल	5000	76.336
6	साहेबगंज वन प्रमण्डल	67500	150.673
	कुल :–	**1051100**	**976.498**

क्र. सं.	वन प्रमण्डल (नाम)	रोपित पौधों की संख्या	माह 21 दिसम्बर, 2015 तक व्यय की गयी राशि
i	ii	iii	xi
राँची रीजन			
1	लोहरदगा वन प्रमण्डल	341427	146.147
2	गुमला वन प्रमण्डल	410000	205.741
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल	576600	201.397
4	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	108000	73.079
5	राँची वन प्रमण्डल	509600	725.906
	कुल :–	**1945627**	**1352.270**
प्रसार वानिकी, द0छोटानागपुर, राँची			
1	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	261000	256.358
2	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	351000	198.450
3	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	361000	105.630
4	सा0वा0 प्रमण्डल, लातेहार	373600	148.145
	कुल :–	**1346600**	**708.584**
प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका			
1	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	374600	218.784
2	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	354000	129.075
	कुल :–	**728600**	**347.859**
प्रसार वानिकी, द0छोटानागपुर, राँची			
1	सा0वा0 प्रमण्डल, चाईबासा	257000	53.387
2	सा0वा0 प्रमण्डल, आदित्यपुर	258000	76.635
3	सा0वा0 प्रमण्डल, सिमडेगा	274600	101.256
4	सा0वा0 प्रमण्डल, राँची	378600	277.814
	कुल :–	**1168200**	**509.093**
1	वन संरक्षक, राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	432500	263.002
2	वन संरक्षक, वनरोपण एवं शोध, राँची	35020	169.149
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	255305	31.488
4	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा	250000	30.573
	कुल :–	**972825**	**494.212**
	सकल योग :–	**12920745**	**9372.247**

नोट :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अन्तर्गत 245.00 करोड़ रुपये का योजना उदग्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 21 दिसम्बर, 2015 तक विभाग द्वारा विकास कार्यों पर 9372.247 लाख रुपये व्यय की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

29

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जिला चतरा के प्रखण्ड हण्टरगंज में कौलेश्वरी मंदिर अवस्थित है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है काफी दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते है;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि आधार भूत सुविधा एवं मूलभूत सुविधाओं के कमी के कारण पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;	3.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आधारभूत सुविधा एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल के संबंध में सरकारी आश्वासन संख्या–52/2014 एवं 194/2015 के अनुपालन के क्रम में उपायुक्त, चतरा से प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटकीय विकास हेतु कुल रू० 93,19,300.00 का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। योजना स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/68/2015 2072 /राँची, दिनांक 21/12/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2963/वि०स०, दिनांक–14/12/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

3356
18/12/2015

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-19

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत लापुंग प्रखंड के अरमा लटमा बालिका उच्च विद्यालय जहाँ पूर्व में छात्राओं की संख्या काफी थी आज मात्र 6-7 छात्राएँ है, जिनकी प्रतिदिन उपस्थिति भयादोहन के कारण नही होती है। विद्यालय के शिक्षण कार्य के लिए सिर्फ प्रधानाध्यापिका है जिनका भी Retirement नजदीक है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु भयादोहन इसका कारण नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्ण सुविधा के साथ उक्त विद्यालय को लापुंग प्रखंड के ककरिया या लापुंग में स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, रांची को निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर से विद्यालय में स्वयं जाकर विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से विद्यालय में पठन-पाठन सुनिश्चित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-151/2015......3356....../ दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

30

श्री साधू चरण महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उ०त०-08 31

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डिग्री शिक्षण संस्थान का एकमात्र प्रतिष्ठान सिंहभूम कॉलेज चाण्डिल है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में पठन-पाठन करने वाले छात्रों के लिए केवल एस०टी० हॉस्टल है जो जर्जर अवस्था में है। ओ०बी०सी० एवं जेनरल छात्रों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, जिस कारण छात्रों को पठन-पाठन में काफी परेशानी हो रही है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र हित में सिंहभूम कॉलेज चाण्डिल में एक ओ०बी०सी० व जनेरल हॉस्टल बनवाने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में ओ०बी०सी० व जनेरल छात्रावास बनाने का कोई विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-105/2015 2435 रांची दिनांक 21/12/15

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2992 दिनांक-14.12.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(31)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री योगेन्द्र प्रसाद, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि 03

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अंतर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कक्षा–6 से 8 तक तथा कक्षा–9 से 10 तक प्रति कार्य दिवस में 200 रुपये अंशकालीन शिक्षकों/शिक्षिकाओं को भुगतान किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची जिला के कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कक्षा–6 से 8 के अंशकालिक शिक्षिक को प्रति कार्य दिवस रू. 200/– की दर से अधिकतम रू. 5000/–प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों को रू. 150/– प्रति घंटी अधिकतम 3 घंटी प्रतिदिन के दर से एक माह में अधिकतम 22 दिनों के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि कक्षा–11 से 12 तक प्रति कार्य दिवस में 200 रुपये अंशकालीन शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का भुगतान किया जाता है तथा अधिक विषय पढ़ाने पर 300 रुपये भुगतान किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। कक्षा–11 से 12 के शिक्षक/ शिक्षिका को भी रू. 150/– प्रति घंटी अधिकतम 3 घंटी प्रतिदिन के दर से एक माह में अधिकतम 22 दिनों के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।
3.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के अंतर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तथा 9 एवं 11 से 12 तक प्रति कार्य दिवस में 100 रुपये अंशकालीन शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को दिये जाते है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राँची जिले के कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की तरह प्रति	पूरे राज्य में एक समान दर से अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका को मानदेय के भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

	कार्य दिवस में जितने राशि भुगतान किया जाता है उतना ही राशि बोकारो जिला के कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के अंशकालीन शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को भी भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों.	

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–13/व.2–54/2015...3107... राँची, दिनांक– 19/12/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2763, दिनांक 10.12.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

(32)

श्री फूलचन्द मण्डल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22–12–2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ता0– ख० 01

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि — मंत्री

01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) के राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक–08.09.2015 को अपराह्न 04.00 बजे निर्धारित की गई थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्धारित तिथि को आहूत बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था तथा बैठक स्थगित होने की तिथि से तीन माह बीतने के पश्चात भी बैठक को बार–बार टाला जा रहा है;	उक्त बैठक दिनांक 10.12.2015 को आहूत हो चुकी है।
03	क्या यह बात सही है कि JSMDC के राज्य स्तरीय समिति की बैठक आहूत न होने से राज्य के विभिन्न जिलों में लघु उद्योग केन्द्रों का विस्तारीकरण प्रभावित हो रहा है;	JSMDC को भविष्य में नियमित रूप से बैठक करने का निदेश दिया गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब JSMDC के राज्य स्तरीय समिति की बैठक आहूत कर लंबित लघु एवं मध्यम इकाईयों को खनन पट्टा मुहैया कराने की मंशा रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक वि0स0(ता0)–63 / 15.1882एम0 दिनांक 18.12.15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 प्र० 2958 दिनांक 14–12–15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

(33)

श्री कुणाल षडंगी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उ0स0-01 उत

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहडागोड़ा में एक महिला कॉलेज का स्थापना की स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार के समय से हुई है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बहडागोड़ा में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु इससे संबंधित कोई स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके लिए आवश्यक जमीन भी उपलब्ध है?	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान सत्र में ही बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई करेगी, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संकल्प संख्या 2010 दिनांक 12.10.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 11 जिलों में महिला महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत सरायकेला खरसॉवा में महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-104/2015 2436 रांची दिनांक-21/12/2015

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2937 दिनांक-14.12.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती गीता कोड़ा, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत 05

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि जिला पश्चिम सिंहभूम प्रखण्ड जगन्नाथपुर में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवन पिछले सात वर्षों से निर्माणाधीन है ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवन निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभाग द्वारा ठेकेदार को 60 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है और भवन का अब तक आधा भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विद्यालय भवन निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 2 करोड़ 64 लाख 5 सौ 32 रूपये के विरूद्ध कुल 79 लाख 81 हजार 5 सौ 81 रूपये का भुगतान किये गये कार्य के विरुद्ध किया गया है, जो प्राक्कलित राशि का 30 प्रतिशत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जगनाथपुर प्रखण्ड के निर्माणाधीन भवन को पूरा करने का विचार रखने के साथ दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	संवेदक द्वारा भवन निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेने के कारण निर्माण कार्य की अद्यतन मापी कराते हुए संवेदक के एकरारनामा को विखण्डित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए संवेदक को अंतिम स्मार-पत्र निर्गत किया गया है। एकरारनामा विखण्डन के उपरांत भवन निर्माण का कार्य कस्तूरबा गांधी भवन निर्माण समिति, जगन्नाथपुर के माध्यम से शेष कार्य को पूर्ण कराने का प्रस्ताव है। एकरारनामा विखण्डन के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

21/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक- 13/व.2-67/2015.....3123, रॉंची, दिनांक- 21/12/2015

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2939, दिनांक 14.12.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के उप सचिव।

(35)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० के प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-11

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के हजारीबाग जिले में पिछड़े वर्गों की संख्या के अनुरूप टेट पास पारा शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है, जिससे अभ्यर्थियों में रोष है?	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 167, दिनांक 21.07.15 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला आरक्षण रोस्टर तथा बैकलॉग को तहत् रिक्त पदों की गणना कर शिक्षक नियुक्ति हेतु कोटिवार रिक्ति निर्धारित की गई है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उन सभी जिले में नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, जिन जिलों में उनके द्वारा पात्रता परीक्षा में रखी गई क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा मान्य है।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशेष परिस्थिति में हजारीबाग जिले में टेट पास पिछड़े वर्गों के पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के अनुसार ही नियुक्ति की जा सकती है। अतएव हजारीबाग जिले में टेट पास पिछड़े वर्गों के पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

21/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-56/2015-3118 राँची, दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2948, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15
सरकार के उप सचिव।

36

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-09

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से लेकर 2011-12 तक के वर्षो में सरकारी विद्यालय के बच्चों को विलम्ब से उपलब्ध कराये गये पाठ्य-पुस्तकों के विक्रेताओं से विलम्ब दण्ड के रूप में उनके विपत्रों से राशि की कटौती की गई,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-13 में विगत वर्षों के सभी विलम्ब दण्डों को अनियमित रूप से माफ करते हुए पाठ्य-पुस्तक विक्रेताओं को 08 करोड़ रूपये का भुगतान उस समय के विभागीय प्रधान सचिव के द्वारा किया गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि पाठ्य-पुस्तक के आपूर्तिकर्ताओं पर लगाये गये विलंब दंड में से रू. 7.92 करोड़ का भुगतान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस भुगतान के लिए मुख्य सचिव-सह-सदस्य राज्य शिक्षा परियोजना की अनुमति नहीं ली गयी थी,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनियमित भुगतान की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण से उच्च स्तरीय समिति से कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मामले की जांच की गई है। अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-58/2015...3106../ राँची, दिनांक......19/12/2015

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2947, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

37

श्री जय प्रकाश भाई पटेल माननीय स0वि0स0 द्वारा अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन– 03 का उत्तर:–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा बार–बार यह घोषणा की जाती है कि झारखण्ड के प्रत्येक प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा।;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के अधिकतर प्रखण्डों में अभी भी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नही हो पाया है।;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार झारखण्ड के शेष बचे हुए सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक–एक स्टेडियम निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा सहमति है। जिस क्रम में झरिया विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर सभी विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण का स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष बचे हुए सभी प्रखण्डों में भी स्टेडियम निर्माण हेतु विभाग/सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के अन्य 17 प्रखण्डों में भी कुल 17 प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरण में है। राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत भी सभी प्रखण्ड में एक–एक Integrated Sports Complex निर्माण का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ विधायी – 08 – 51/2015/क॰ 1020 / राँची, दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2952 दिनांक 14.12.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन,कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

(35)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि0-08

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 500 निजी प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय बिना सरकारी आदेश व बिना अहर्ता एवं मापदण्ड के मनमानी तरीके से संचालित है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे विद्यालय, जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, को अधिनियम लागू होने के तिथि अर्थात 01.04.10 से तीन वर्षों के भीतर मान्यता प्राप्त कर लेना था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 01 में वर्णित विद्यालयों के संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से विद्यालयों का पंजीयन एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर करा लेने का आदेश पारित होने के बावजूद अधिकांश विद्यालय प्रबंधक सरकार के आदेश का उल्लंघन कर विभागीय पदाधिकारियों की मिली भगत से विद्यालयों का संचालन कर रहें हैं, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष लाखों रुपये का राजस्व की क्षति होने के साथ-साथ अविभावकों से बच्चों के नामांकन व ट्यूशन फी की वसूली मनमानी रूप से की जा रही है;	अस्वीकारात्मक है। यह सही है कि कई विद्यालयों ने अबतक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं किया है, किन्तु ऐसे विद्यालयों से राज्य सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार राज्यहित व जनहित में राज्य में अवैध रूप से संचालित खण्ड-01 में वर्णित सभी विद्यालयों को चिन्हित कर एक माह के अन्दर सभी विद्यालय प्रबंधकों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 2530, दिनांक 28.10.15 द्वारा बगैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों को चिन्हित करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 12/अ-2-13/15 — 3112 राँची, दिनांक- 19.12.2015,

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-2945 दिनांक- 14.12.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में अनेक धार्मिक, सुप्रसिद्ध, दार्शनिक स्थल है, जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखण्ड स्थित दंगवार का सूर्य मंदिर, मोहम्मदगंज प्रखण्ड स्थित भीमचुल्हा, हैदरनगर प्रखण्ड के कबरा गाँव स्थित पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त बौद्ध कालीन अवशेष, हरिहरगंज प्रखण्ड के आररूआ पंचायत स्थित पहाडी शिव मंदिर तथा गेरूआधाम जो पिपरा प्रखण्ड में अवस्थित है, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थलों में से पलामू जिलान्तर्गत पीपरा प्रखण्ड के गेरूआ पहाड के पर्यटकीय विकास हेतु सरकारी आश्वासन संख्या–166/02 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपायुक्त, पलामू को रू० 10,00,000.00 (दस लाख रूपये) मात्र आवंटित किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव प्रश्नाधीन स्थलों के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कारेवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/69/2015 2070 /राँची, दिनांक 21/12/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2961/वि०स०, दिनांक–14/12/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

(40)

3349
18/12/2015

श्री दशरथ भागराई, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-05

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय पुरनिया (प्रखण्ड खुटपानी, पश्चिमी सिंहभूम) के भवन सुदृढ़िकरण हेतु 33.15 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त राशि का उपयोग सुदृढ़िकरण कार्य में अब तक नही हो पाया है।	झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक 562 दिनांक 17.12.2015 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, प0 सिंहभूम के पत्रांक 1464 दिनांक 16.12.2015 द्वारा प्राप्त करायी गयी सूचना के अनुसार प्रश्नाधीन विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 5 बार निविदा प्रकाशित की गयी। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका। उसके पश्चात् 4 बार आमंत्रित निविदाओं में एक भी संवेदक के द्वारा निविदा नहीं डाली गयी। इस कारण से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त राशि का उपयोग विद्यालय भवन के सुदृढ़िकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् को निदेशित किया गया है कि एक माह के अन्दर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।

18/12
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-152/2015 3349 दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12
सरकार के उप सचिव।

41

श्री राजकुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उ०त०-04

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार विधान सभा अन्तर्गत छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिला कॉलेज की स्थापना अबतक नहीं किया गया है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र की गरीब छात्राऐं आर्थिक आभाव व महिला कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। आदर्श महाविद्यालय, राजधनवार में सह-शिक्षा की व्यवस्था है, जिसमें छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु गाँवों एवं प्रखण्डों में महिला कॉलेज खोलने का विचार रखती है हां तो कब तक नहीं तो क्यों?	सरकार के संकल्प संख्या-2010 दिनांक-12.10.2015 के द्वारा राज्य के सभी जिलों में महिला महाविद्यालय की व्यवस्था का निर्णय किया गया है। जिन 11 जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं है, वहाँ महिला महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-106/2015 2457 रांची दिनांक- 21/12/15

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2938 दिनांक-14.12.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

42

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री संजीव सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-12

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एंव आधुनिकतम् पाठ्यक्रम लाने की योजना बना रही है, जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य निर्माण में सहयोग हो सके,	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर एवं व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है ,	वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, राज्य के उच्च एवं +2 विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं व्यवसायिक शिक्षा के पठन-पाठन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित विद्यालयों को उसके अनुरूप विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी विद्यालयों में गुणवत्त शिक्षा हेतु राज्य सरकार संकल्पित है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-61/2015...3111.../ रॉंची, दिनांक...19/...12.../2015

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक-2970, दिनांक-22.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

(43)

श्री ताला मरांडी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राजमहल, झारखण्ड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन एवं वन क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि राजमहल क्षेत्र में स्थित कोलियरियों द्वारा साहेबगंज स्थित वैध–अवैध क्रशर पलांटों द्वारा प्रदूषण फैलाने से भारी पर्यावरण दूषित हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राजमहल क्षेत्र में दो कोलियरियाँ स्थित है। जिन्हें सी0टी0ओ0 निर्गत है। साहेबगंज जिलें में कुल 227 स्टोन क्रशर इकाईयों को सी0टी0ई0/सी0टी0ओ0 शर्तों को अनुपालन करने के पश्चात् सी0टी0ओ0 प्रदान किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निषेधात्मक और वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	साहेबगंज जिला में अवस्थित 66 स्टोन क्रशर इकाईयों को प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने के फलस्वरूप कारण पृच्छा की गई है। अवैध क्रशरों एवं खदानों के विरूद्ध पर्षद द्वारा साहेबगंज जिला में कुल 11 मुकदमे व्यवहार न्यायालय में किए गए हैं। अवैध क्रशर के विरूद्ध जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–74/2015– 6423 व0प0, राँची, दिनांक–21.12.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2956 दिनांक–14.12.15 के -प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री साधुचरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–03 का प्रश्नोत्तर

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति वर्ष हाथियों के उत्पात के कारण कई लोगों की जाने जानती है, किसानों के लाखों के फसल नष्ट होते हैं एवं कई लोगो के मकान ध्वस्त होते हैं;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि हाथियों से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा देने में विभाग की ओर से काफी देरी एवं कागजी प्रक्रिया के बहाने परेशान किया जाता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति जरूरत के समय असहाय महसूस करते हैं;</td><td>अस्वीकारात्मक।
सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत जंगली जानवरो द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में किये गये क्षति/मुआवजा भुगतान निम्नवत् है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="2">जंगली जानवरों द्वारा मारे गए व्यक्ति की संख्या तथा भुगतेय मुआवजा राशि</th><th colspan="2">जंगली जानवरों द्वारा घायल किये गये हाथी की संख्या तथा भुगतेय मुआवजा राशि</th><th colspan="2">जंगली जानवरों द्वारा किये गये फसल/अनाज क्षति के रूप में भुगतेय मुआवजा राशि</th><th colspan="2">जंगली जानवरों द्वारा तोड़े गये मकान की संख्या–भुगतेय मुआवजा राशि</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td></td><td>संख्या</td><td>राशि</td><td>संख्या</td><td>राशि</td><td>है०/क्वींटल</td><td>राशि</td><td>संख्या</td><td>राशि</td><td></td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>5</td><td>1112500</td><td>11</td><td>96500</td><td>425.633
351.81</td><td>1276901
263599</td><td>115</td><td>462000</td><td>3211500</td></tr>
<tr><td>2015–16</td><td>4</td><td>1000000</td><td>5</td><td>27000</td><td>54.58
119.9</td><td>389890
74230</td><td>37</td><td>225760</td><td>1718900</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में हाथियों के आने–जाने का रास्ता को घेरकर एवं हाथियों के निवास स्थान का घेराबन्दी कर ईचागढ़ विधान सभा को हाथी जोन घोषित कर हाथियों से प्रभावितों को क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा भुगतान तत्काल या ससमय कर हाथियों के आतंक से बचाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>सिंहभूम गज आरक्ष घोषित है एवं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र उसका भाग है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों का आवागमन एवं विचरण सालों भर रहता है। इस क्षेत्र में जंगली हाथियों के सहवास, प्रजनन, बच्चों के जन्म की सूचनाएँ प्राप्त होती रहती है। मानव एवं हाथियों के द्वंद्व को कम करने हेतु 40 समितियों का गठन किया गया है। इन्हें वन विभाग द्वारा मशाल हेतु जलामोबिल, जूट बोरा, तार ईत्यादि के साथ–साथ पटाखों तथा किरासन तेल का वितरण किया जाता है। साथ ही इस कार्य हेतु हाथी निरोधक दस्ता का भी गठन किया गया है, जो सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त जंगलों में पारिस्थितिकी विकास हेतु गज परियोजना के तहत वन क्षेत्रों में जल स्त्रोतों का निर्माण एवं विभिन्न अन्य योजनाओं के तहत वृक्षारोपण योजनाओं का कार्यान्वित किया गया है, ताकि अधिकतर वनों में ही सीमित रहें।
ग्रामीणों को जंगली हाथियों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अतिसंवेदनशील गाँव में सोलरस्ट्रीट लेम्प्स लगाने की कार्रवाई की जा रही है। हाथी निरोधक दस्तों में सोलर ड्रेगन टॉर्च भी वितरित किये गये है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–75./2015– 6404 व0प0, राँची, दिनांक– 21/12/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2988 दिनांक–14.12.15 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/12/15

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

45

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-10

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षकों के वर्त्तमान मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये जाने का निर्णय दिनांक-26.08.2015 को लिया गया, जो अबतक लंबित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षकों को वर्ष 2015 में वर्त्तमान में देय मानदेय पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि भारत सरकार की सहमति से देय होगी,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पारा शिक्षकों के वर्त्तमान मानदेय में दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार रखती है, हॉ तो, कबतक, नहीं तो क्यो ?	इस संदर्भ में विधिवत् प्रस्ताव का गठन कर भारत सरकार से रू. 171.82 करोड़ की मांग की गई है, जो अबतक अप्राप्त है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-57/2015:...3102.../राँची, दिनांक.........19/12/2015

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2946, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

(47)

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–01 की उत्तर सामग्री :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर सामग्री</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के बाद, राज्य में औद्योगिक विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर बड़े–बड़े औद्योगिक घरानों एवं इकाईयों से ही MOU हुए लेकिन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना तुलनात्मक रूप से नगण्य है;</td><td>अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि राज्य गठन के पश्चात् मेगा प्रक्षेत्र में 79 इकाईयों के साथ किये गए MOU के विरूद्ध 19 हस्ताक्षरित कंपनियों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बड़े औद्योगिक इकाईयों की कीमत पर मध्यम एवं छोटे उद्योगो की स्थापना पर सरकार का विशेष रूझान नहीं रहा। जिसके कारण राज्य में मध्यम एवं छोटे उद्योगपतियों के मन में भय का वातावरण है और वे उद्योग स्थापना के हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। परिणामतः ऐसे उद्योगों की स्थापना नहीं होने से राज्य के अधिसंख्य बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही है और युवा पिढ़ी भटकाव की दिशा में अग्रसित हो रही है;</td><td>अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सृजन के बाद मध्यम, वृहत एवं छोटे तथा मेगा उद्योगों को प्रोत्साहित करने निमित झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 लागू की गयी।
2. राज्य स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणी के अधिस्थापित उद्योगो की स्थिति निम्नवत है–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>इकाई के श्रेणी</th><th>संख्या</th><th>पूंजीनिवेश (लाख में)</th><th>नियोजन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मेगा</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>एम0ओ0यू0 इकाई</td><td>19</td><td>3,36,292.00</td><td>9611</td></tr>
<tr><td></td><td>नन एम0ओ0यू0 इकाई</td><td>24</td><td>54,12,023.00</td><td>7500</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल मेगा इकाई</td><td>43</td><td>57,48,315.00</td><td>17,111</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वृहत</td><td>123</td><td>87,6574.00</td><td>10,508</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>माईक्रो/स्मॉल/मध्यम इकाई</td><td>33720</td><td>132470.57</td><td>1,75,067</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य में हुए MOU की संख्या कितनी थी और कितने उद्योग अबतक स्थापित हुए। राज्य में मध्यम एवं छोटे उद्योगो को स्थापित करने/प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कौन–कौन सी योजनाएं हैं और कौन से कदम उठाए गये हैं, यदि अबतक कोई योजना नहीं बनाई गयी तो योजना बनाना चाहती है, कब तक योजना बनाने का विचार रखती है ?</td><td>राज्य में मेगा प्रक्षेत्र में 79 इकाईयों के साथ MOU हुए है। राज्य में मध्यम एवं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 लागू है तथा क्षेत्र विशेष आधारित उद्योगो को प्रोत्साहित करने हेतु झारखण्ड खादय प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015, झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015, झारखण्ड औद्योगिक पार्क नीति, 2015 एवं झारखण्ड निर्यात नीति, 2015 लागू की गयी है। इसके साथ ही साथ व्यवसाय की स्थापना में आनेवाले कतिपय अड़चनो को दूर करने के उद्देश्य से सिंग्ल विण्डो को साकार रूप दिया जा रहा है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2029 /राँची, दिनांक 19.12.2015 /

01/विधानसभा (तारांकित प्रश्न)–04–58/2015 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2936 वि0स0 दिनांक–14.12.2015 के

3347
18/12/2015

श्री पौलुस सुरीन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि०–18

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड स्थित हुदा रायकेरा एक मात्र उत्क्रमित उच्च विद्यालय है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक 2060 दिनांक 16.12.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड में निम्नवत् उच्च विद्यालय संचालित हैं :-

क्र0	विद्यालय का नाम	कोटि
1	एस.एस.+2 उच्च विद्यालय, बानो	राजकीयकृत
2	नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कोनसोदे (2006-07)	उत्क्रमित
3	नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डुमरिया (2006-07)	उत्क्रमित
4	नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हुदा (2010-11)	उत्क्रमित
5	नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कानारोवां (2010-11)	उत्क्रमित
6	नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, केवेदांग (2011-12)	उत्क्रमित
7	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, बानो	KGBV
8	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बानो	परियोजना 84-85
9	जनता उच्च विद्यालय, सितूटोली	अल्पसंख्यक
10	आर0सी0एम0 उच्च विद्यालय, बांकी	अल्पसंख्यक
11	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, उपकेला	स्थापना अनुमति
12	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, कोनसोदे	स्थापना अनुमति

2	क्या यह बात सही है कि उस क्षेत्र में 10+2 विद्यालय नही रहने से वहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।	बानो प्रखण्ड में +2 एस. एस. उच्च विद्यालय, संचालित है, जहां छात्र-छात्रायें +2 स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बच्चों के हित हो देखते हुए उक्त विद्यालय को 10+2 उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक 549 दिनांक 03.12.2015 द्वारा जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर +2 विद्यालय की सुविधा प्राप्त कराने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में प्रश्नाधीन विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा वित्तीय वर्ष

		2016-17 में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-150/2015......3343....../ दिनांक...18/12/2015....../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(49)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रो० स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि०-07

	प्रश्न	उत्तर
क्र०	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार मानव संसाधन विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक संख्या-2410 दिनांक 20.10.2008 द्वारा सिमडेगा जिले के 08 (आठ) गैर सरकार सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की कक्षा को बिना शिक्षकों के पदों की स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृत के उत्क्रमित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय आदेश सं0-2410 दिनांक 21.10.08 द्वारा सिमडेगा जिले के 8 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में से पांच को कक्षा-8, दो को कक्षा-7 एवं एक को कक्षा-5 तक की मात्र पढ़ाई करने की स्वीकृति दी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों के अभाव में एवं वित्तीय कठिनाईयों के कारण पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है;	गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतनादि के भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रबंधन समिति की होती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यालयों में शिक्षकों के पद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब नहीं तो क्यों?	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्रा०शि०नि०) द्वारा हिन्दी दैनिक "प्रभात खबर" में दिनांक 29.10.15 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पूर्ण आवेदन प्राप्ति के फलस्वरूप नियमानुसार अनुदान स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकेगी।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-16/वि. स.2-16/2015:...3108.../ राँची, दिनांक- ...19/12/15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-2949 दिनांक- 14.12.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

(50)

3350
18/12/2015

श्री राम कुमार पाहन (62), मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि0-04
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगडा प्रखण्ड में स्थित राज्य समपोषित +2 उच्च विद्यालय, चिलदाग में उच्च विद्यालय में गणित सह विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं शारीरिक शिक्षा के शिक्षक तथा प्रखण्ड में एक मात्र सरकारी +2 विद्यालय में भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी एवं इतिहास आदि विषय के शिक्षक नहीं हैं?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय में +2 विद्यालय में शिक्षक नहीं रहने से शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप है?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विद्यालय में माध्यमिक एवं +2 स्तर पर कार्यरत शिक्षकों का विवरणी निम्नवत् है :-

माध्यमिक स्तर पर वैसे विषय, जिसके शिक्षक उपलब्ध हैं।	+2 स्तर पर वैसे विषय, जिसके शिक्षक उपलब्ध हैं।
हिन्दी	हिन्दी
भूगोल	गणित
अर्थशास्त्र	संस्कृत
जीव विज्ञान/	जीव विज्ञान
रसायन शास्त्र	भूगोल
	वाणिज्य
	अर्थशास्त्र

उक्त विषयों में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा पठन-पाठन कार्य किया जा रहा है।

3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एस0 एस0 - उच्च विद्यालय +2, चिलदाग में शिक्षकों की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	+2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि अंग्रेजी एवं भौतिकी विषय के एक उच्च योग्यताधारी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति उस विद्यालय में की जाय।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-139/2015 3350 दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

(31)

श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ख–03

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री:–श्री सी0 पी0 सिंह

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ई0सी0एल0 कोलियरी राजमहल वर्ष 2011 से 2015 जून तक सी0एस0आर0 मद में कितनी राशि कर्णाकित की गई है;	ई0सी0एल0 कोलियरी राजमहल द्वारा वर्ष 2011 से 2015 जून तक सी0एस0आर0 मद में कुल 13 करोड़ 74 लाख 92 हजार 528 रू0 कर्णाकित की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि ई0सी0एल0 कोलियरी राजमहल द्वारा कर्णाकित राशि में से मदवार किन–किन क्षेत्रों में कितनी राशि कौन–कौन से कार्य हेतु खर्च की गई है;	कर्णाकित राशि पेय जल, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन मरम्मति, उर्जा, स्वास्थ्य कैंप, प्रशिक्षण आदि मद में खर्च की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खर्च की गयी राशि मदवार की जानकारी उपलब्ध करानी चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मदवार राशि की विवरणी ई0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

18/12/15
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(ता0)–65 / 15 1881 /एम0, राँची दिनांक– 18/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2959 दिनांक 14.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव

(52)

3355
18/12/2015

श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–15
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से संस्कृत विषय के शिक्षक की बहाली नहीं हुई है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2010 में राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में संस्कृत विषय के 156 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। जुलाई, 2015 में 338 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संस्कृत विषय के 123 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि संस्कृत शिक्षक नहीं होने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संस्कत विषय के शिक्षक की बहाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संस्कृत विषय सहित शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये सभी कोटि के माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक संयुक्त नियमावली का गठन कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त नियमावली झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सहमति हेतु भेजी गयी है। सहमति प्राप्त होते ही शिक्षकों के रिक्त पदों की अधियाचना (संस्कृत के रिक्त पदों सहित) झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–148/2015 3355 दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

(53)

श्री राज सिन्हा माननीय स0वि0स0 द्वारा अधिवेषन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या टन– 04 का उत्तर–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद में मेगा स्पोर्टस कम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 04 करोड़ 83 लाख के प्रकरण की स्वीकृति मार्च 2007 में दी गई ?	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि इस कार्य के निर्माण हेतु ईस्ट इण्डिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मार्च 2008 में समझौता किया गया जिसके तहत जून 2009 में कार्य पूर्ण करना था ?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जनवरी 2011 में इस कार्य हेतु 03 करोड़ 56 लाख रूपया व्यय किया गया	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि नवम्बर 2011 तक 03 करोड़ 57 लाख 99 हजार रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक 1785 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा सूचित किया है।
4	क्या यह बात सही है कि जुलाई 2013 में इसकी प्राक्कलित राशि बढ़ कर 06 करोड़ 92 लाख हो गई किन्तु कार्य अभी तक पूर्ण नही हुआ हैं.	उत्तर स्वीकारात्मक है। इस योजना के प्राक्कलन का संशोधोन किया गया है एवं राज्यादेश संख्या 26/रा. दिनांक16.02.2015 के द्वारा संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटन आदेश संख्या 41/आ. दिनांक 23.02.2015 द्वारा अतिरिक्त राशि 2,09,03,500/–उपायुक्त, धनबाद को आवंटित की गई है।

5	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राक्कलित राशि की वृद्धि की जाँच कराने एवं उक्त मेगा स्पोर्टस कम्प्लेक्स को शीघ्र पूरा करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यकारी एजेन्सी के कार्यपालक अभियंता,धनवाद द्वारा पुनः 7.46 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु स्वीकृति के अधियाचना के क्रम में पुनः प्राक्कलन की राशि में वृद्धि के संबंध में उपायुक्त, धनबाद से विभागीय पत्रांक 696 दिनांक 07.09.2015 द्वारा पृच्छा की गई। अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ विधायी – 08 – 50/2015/क. 1021 / राँची, दिनांक 21/12/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2951 दिनांक 14.12.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(54)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती निर्मला देवी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि 17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि मई 2013 में झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल द्वारा टेट का रिजल्ट जारी किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ऐकडमिक काउंसिल जैक द्वारा हजारों अभ्यार्थियों को टेट का रिजल्ट तकनीकि कारणों से प्रकाशित नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि त्रुटिपूर्ण/ अपूर्ण आवेदन या ओ.एम.आर. गलत भरने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल rejected के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किये जाने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई थी, जिन्हें उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया था, परन्तु अभी तक रिजल्ट निर्गत नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 4046/2013 में पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार टेट पास का रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों;	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल पूर्व में ही प्रकाशित हो चुका है, अतएव पुनः परीक्षाफल प्रकाशन का कोई औचित्य नहीं है।

21/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–13/व.2–66/2015...3117../ राँची, दिनांक– 21/12/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2969, दिनांक 14.12.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15
सरकार के उप सचिव।

55

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन--05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावाँ जिले में आकर्षिणी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख 60 हजार रूपये की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व ही की गयी है;	1.	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरायकेला-खरसावाँ जिले में आकर्षिणी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण हेतु कुल रू० 2,50,63,600.00 (दो करोड़ पचास लाख तिरसठ हजार छः सौ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू० 80,00,000.00 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 1,70,63,600.00 रूपये आवंटित की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गयी है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त सेंटर का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है;	3.	आकर्षिणी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आकर्षिणी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करने को विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	संबंधित योजना निर्माण कार्य स्थल का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण, योजना - कार्य प्रारम्भ होने मे विलम्ब हुआ है। कार्य प्रारंभ है, जो लगभग एक वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/66/2015 2071 /राँची, दिनांक 21/12/15 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-2953/वि०स०, दिनांक-14/12/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

(56)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–02 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के क्षेत्र गेतलसूद क्षेत्र में रियाडा का लगभग 200 एकड़ जमीन खाली पड़ी है;	राँची जिला अन्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के गेतलसूद क्षेत्र में रियाडा के अधिन 200 एकड़ भू–खण्ड नहीं हैं बल्कि मात्र 100.60 एकड़ हस्तांतरित/अधिग्रहित भू–खण्ड है उसमें से सर्वश्री नालंदा सिरामिक्स को 39.60 एकड़, झारखण्ड मेगा फूड प्रा0 लि0 को 56.00 एकड़ तथा सर्वश्री एक्सटेक बिटुमिनस प्रा0 लि0 को 2.00 एकड़ आवंटित किया जा चुका है। सिर्फ 3.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु रिक्त है।
2	क्या यह बात सही है कि रियाडा के जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है;	राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहित/हस्तांतरित जमीन उपरोक्त इकाईयों को आवंटित है। प्राधिकार के अधीन शेष बचे हुए 3.00 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण नहीं हुआ है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रियाडा के जमीन पर छोटे–छोटे उद्योगों को लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.00 एकड़ भूमि आवंटन योग्य शेष है। इच्छुक आवेदको को उद्योग लगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2003 /राँची, दिनांक 17.12.2015 /
01/विधानसभा (तारांकित प्रश्न)–04–60/2015 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–2934 वि0स0 दिनांक–14.12.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15
सरकार के अवर सचिव

(57)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत गढ़वा रंका विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खेनहर, लगमा, हुर, भरठीया (अगड़ाबाबा), मलपहरी, शिवनाला है, जहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु/पर्यटक अन्य प्रदेशों से भी आते है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात भी सही है कि खण्ड (1) मे वर्णित स्थल आमलोगों के श्रद्धा का धार्मिक केन्द्र बिन्दु है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) मे वर्णित स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	वस्तुस्थिति यह है कि – i. खोनहर स्थित शिवमंदिर परिसर के समग्र विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड को रू० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है। ii. ग्राम हुर में अंजान शहीद स्थल के पास टूरिस्ट कॉन्वेंनियन्स ब्लॉक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपायुक्त, गढ़वा को रू० 64,44,800.00 (चौसठ लाख चौवालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है। iii. रंका प्रखण्ड अन्तर्गत शिवनाला स्थल पर (जी०टी०आई० परिसर के पास) अतिथिशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपायुक्त, गढ़वा को रू० 13,68,400.00 (तेरह लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त अतिथिशाला में डीप बोरिंग, चहारदिवारी, गार्डवाल तथा सीढ़ी के निर्माण हेतु रू० 8,07,500.00 (आठ लाख सात हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। iv. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव प्रश्नाधीन स्थलों के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,</u>
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/67/2015 2073 /राँची, दिनांक 21/12/15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2962/वि०स०, दिनांक–14/12/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

55

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उ०का०-02

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय से राजमहल अनुमण्डल की दूरी 35 कि०मी० है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राजमहल अनुमण्डल अन्तर्गत सरकारी महाविद्यालय नहीं है, जिसकी मांग वर्षों से होते आ रही है तथा छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयाँ हो रही है?	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिलान्तर्गत राजमहल अनुमण्डल में मॉडल महाविद्यालय स्थापित कर छात्र-छात्राओं को सुविधा दिलाने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत साहेबगंज जिला में मॉडल महाविद्यालय स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है। इस संबंध में उपायुक्त, साहेबगंज से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-102/2015 2434, रांची दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2942 दिनांक-14.12.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/12/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

18/12/2015

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-13

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर विधान सभा क्षेत्र के बिरनी प्रखंड के द्वारपहरी तथा बगोदर प्रखण्ड के बगोदर में वर्ष 2011 में ही मॉडल विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय कर्मचारी पदाधिकारी की लापरवाही के कारण अब तक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-73 दिनांक 21.07.2014, निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-105 दिनांक 14.08.2014 तथा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-145 दिनांक 08.10.2014 द्वारा ई-निविदा के माध्यम से तीन बार निविदा आमंत्रित की गई है। तीनों बार आमंत्रित निविदा में बगोदर प्रखण्ड के बगोदर मॉडल विद्यालय के लिए कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। बिरनी प्रखण्ड के लिए तृतीय निविदा में एक निविदा प्राप्त हुई थी। परन्तु संवेदक द्वारा तकनीकी अहर्त्ता (Bid-capacity) को पूरा नही करने के कारण निविदा का निष्पादन नहीं किया जा सका। इस प्रकार बिरनी एवं बगोदर प्रखण्ड में योग्य निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।
3	क्या यह बात सही है कि अब तक दोनो प्रखण्डों में मॉडल स्कूल रूम के निर्माण नही होने से स्थानीय छात्र-छात्राओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली शिक्षण कार्य से वंचित होना पड़ रहा है।	दोनों ही प्रखण्डों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् विद्यालय को अन्य स्थान पर संचालित किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिरनी प्रखंड के द्वारपहरी	इसकी जांच कराकर एक माह के अन्दर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

	तथा बगोदर प्रखण्ड के बगोदर में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-149/2015 3364 / दिनांक 18/12/2015 /

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

(60)

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ख–02

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि– माननीय मंत्री–श्री सी० पी० सिंह

क०स०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विगत 60 वर्षों से हिण्डालको प्रबंधन द्वारा गुमला, लोहरदगा एवं लातेहार जिले में बॉक्साईड का खनन एवं परिवहन तथा चन्दवा टोरी स्टेशन से रेणुकूट रेलवे रैक से बॉक्साईड का परिवहन किया जा रहा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रबंधन द्वारा राज्य के अन्दर एल्युमिनियम कारखाना न लगाकर पट्टे में उल्लेखित समझौते का सरासर उल्लंघन किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। हिण्डालको प्रबंधन द्वारा गढ़वा रोड में बिहार कॉस्टिक की स्थापना सन् 1984 में की गई है। वर्ष 2000 में इंडाल कंपनी भूरी को खरीद कर इसकी उत्पादन क्षमता 1 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5 लाख टन प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि बॉक्साईड के परिवहन से लोहरदगा, कुडू, चन्दवा मुख्य बाजार, धुल से प्रदूषित हो रहा है, फिर भी प्रबंधन द्वारा सी०एस०आर० के तहत जनहित का यथा–सफाई, पानी बिजली, नाली इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है;	हिण्डालकों प्रबंधन द्वारा लोहरदगा, कुडू, चन्दवा मुख्य बाजार में टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। प्रबंधन द्वारा स्वच्छ पेय जल हेतु हैंडपंप एवं कुओं का निर्माण मरम्मतिकरण और सफाई के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया जाता है। स्वच्छ एवं शीतल पेय जल के लिए टोरी रेलवे स्टेशन में वाटर कुलर की व्यवस्था की गई है। चन्दवा में विशिष्ट स्थानों पर शुद्ध पेय जल हेतु RO फिल्टर प्रदान किया गया है। चन्दवा में सोलर लाईट की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, ग्रामीण चिकित्सा शिविर, निःशुल्क दवाईयों का वितरण आदि का कार्य किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हिण्डालको प्रबंधन को (1) राज्य के अन्दर एल्युमिनियम कारखाना लगाने (2) लोहरदगा, कुडू, चन्दवा मुख्य बाजार का प्रत्येक दिन सफाई इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने (3) लोहरदगा साईडिंग को अन्यत्र शिफ्ट कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है। लोहरदगा साईडिंग रेलवे की संपत्ति है और इस संबंध में निर्णय रेलवे प्रबंधन द्वारा ही लिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि०स०(ता०)–64 / 15 1877 /एम०, राँची दिनांक– 18.12.15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र० 2957 दिनांक 14.12.15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.15
सरकार के उप सचिव

(61)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.12.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–03 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि डुमरी विधान–सभा में एक भी कल–कारखाना नहीं है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। डुमरी विधान–सभा में कल–कारखानों की स्थिति निम्नवत है– **उद्योग की संख्या** **पूंजीनिवेश** **नियोजन** 101 866.24 लाख 358
2	क्या यह बात सही है कि लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष काफी संख्या में पलायन कर रहे हैं;	राज्य सरकार द्वारा रोजगार के सृजन हेतु खाद्य प्रसंस्करण नीति, फीड प्रोसेसिंग, इण्डस्ट्रीयल पार्क पॉलिसी तथा एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार किया गया है। इन नीतियों के परिप्रेक्ष्य में पूंजीनिवेश की संभावनाएं हैं। पूंजीनिवेश एवं उद्योगों/व्यवसायों की स्थापना के उपरांत स्वतः रोजगार के लिए पलायन में कमी आयेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डुमरी विधान–सभा में पलायन रोकने हेतु कल–कारखाना का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक पूंजीनिवेशकों से प्रस्ताव उपलब्ध होने पर राज्य सरकार नीति अनुरूप सहायता करती है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2010 /राँची, दिनांक 17.12.2015 /
01/विधानसभा (तारांकित प्रश्न)–04–59/2015 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2935 वि0स0 दिनांक–14.12.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/15

सरकार के अवर सचिव

62

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2015 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उ०त०-07

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला मुख्यालय में एक मात्र शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय है, जिसमें सिर्फ पुरूषों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिले में बी०एड एवं एम०ए० की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिसके कारण यहाँ के विद्यार्थियों को एम०ए० एवं बी०एड० की शिक्षा के लिए राँची या अन्य जगह जाना पड़ रहा है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमडेगा में महिलाओं के शिक्षक-प्रशिक्षण की स्वीकृति एवं सिमडेगा महाविद्यालय में एम०ए० की पढ़ाई की शुरूआत एवं बी०एड० की शिक्षा की व्यवस्था करेगी, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-4(17) के अधीन अंगीभूत महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय सक्षम है। विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालयों में एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त कर बी०एड० की पढ़ाई प्रारंभ कराने के लिए सक्षम है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-103/2015 2438 राँची दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2977 दिनांक-14.12.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(63)

3346
18/12/2015

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-14

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड में परियोजना विद्यालय के शिक्षकों के नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान का मामला राज्य बनने के समय से लंबित है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के संबंध में उत्पन्न विवाद के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-2626/2001 तथा सिविल अपील संख्या-6676-6681/2001 में दिनांक 03.01.2006 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- "The Chief Secretary of the State of Bihar is, therefore, requested to constitute a committee comprising two officers and one Educationist of the repute and/or a retired Judicial officer. In the event a Judicial officers is appointed as a member of the committee, he should be chairman thereof. Remuneration of Judicial officer and/or Educationist shall be determined by mutual agreement. The Chief Secretary is hereby requested to place at the disposal of the committee the requisite staff, which may be required by the committee, for amongst the staff of one or the other department of the State." माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1514 दिनांक-20.07.2006 द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सैयद मोमीन आलम, (सेवा निवृत्त) की

		अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा झारखंड के क्षेत्रान्तर्गत आनेवाली 1984-85 चरण के परियोजना विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता की गहन जाँच की गयी। समिति द्वारा दिनांक-30.09.2007 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड राज्य में अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त कार्यरत 48 शिक्षक/ 35 लिपिक एवं 67 आदेशपाल की सेवा मान्यता मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-05.07.2011 को दी गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना विद्यालय के अन्य छूटे हुए मामलों की नियमानुसार विधिक जाँच कर इन्हें मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ उपस्थापित किया जाय। मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसे आलम समिति तथा बुध समिति की अनुशंसाओ की समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। इस समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् के समक्ष विधिसम्मत् प्रस्ताव उपस्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर मंत्री परिषद् में प्रस्ताव उपस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।	खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित	इस खंड का उत्तर खंड 1 एवं खंड-2 में सन्निहित है।

	करने एवं लंबित वेतन भुगतान वर्ष 2015 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-147/2015 3346 / दिनांक 18/12/2015 /

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15
सरकार के उप सचिव।

64

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-16

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षक नियुक्ति प्रणाली को नजर अन्दाज कर धनबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपनी सुविधा अनुसार नियम बताकर कॉन्सेलिंग में गड़बड़ी की गयी है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नया अपग्रेडेड बहाली हेतु पुराने कार्य में कार्यरत होते हुए आवेदन दे सकता है;	विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर सरकारी कर्मचारी नये पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते है।
3.	क्या यह बात सही है कि नये चयन के उपरान्त पुराने पद से त्याग पत्र देना आवश्यक होता है;	सरकारी सेवा में रहने की स्थिति में सरकारी सेवक को नये पद पर योगदान के पूर्व पुराने पद को त्याग करना पड़ता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो झारखण्ड के धनबाद समेत सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को मेधावी आवेदकों के साथ ऐसा व्यवहार किस नियम के तहत कर रहे है, इसकी जाँच कराने की विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-62/2015....3105 रॉंची, दिनांक........19/12/2015

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2976, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

65

श्री मनोज कुमार यादव माननीय स0वि0स0 द्वारा अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– टन– 02 का उत्तर:–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री मनोज कुमार यादव, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत ग्राम जोंगी में अर्धनिर्मित स्टेडियम है।;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित स्टेडियम के पूर्ण निर्माण से लोकहित में काफी उपयोगी होगा।;	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त निर्माणधीन स्टेडियम का पूर्ण निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा चन्दवारा प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण राशि का आवटंन कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ विधायी – 08 – 48/2015/क. 1019 / राँची, दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपि अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2760 दिनांक 10.12.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन,कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(66)

श्री मनोज कुमार यादव माननीय स0वि0स0 द्वारा अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– टन– 01 का उत्तर–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री मनोज कुमार यादव, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमण्डल मुख्यालय में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम का अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक । (बरही अनुमण्डल मुख्यालय में इण्डोर स्टेडियम पूर्व से निर्मित है। आउटडोर स्टेडियम का अभाव है।)
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमण्डल मुख्यालय में खेलकूद के विकास हेतु स्टेडियम निर्माण कराने की आवश्यकता है;	अनुमण्डल स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्णय नही लिया गया है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरही अनुमण्डल मुख्यालय में खेलकूद के विकास हेतु स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथाउपरोक्त ।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ विधायी – 08 – 49/2015/क. 1018 / राँची, दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2761 दिनांक 10.12.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन,कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(67)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने को लेकर शिक्षा परियोजना के निर्देशानुसार सभी जिलों में इण्टर प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति शिक्षा परियोजना के निर्देशानुसार नहीं, बल्कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के पत्रांक-01/2013 के आलोक में कार्यालय के ज्ञापांक-190, दिनांक-23.01.2015 एवं ज्ञापांक-865, दिनांक-24.03.2015 द्वारा इण्टर प्रशिक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4200 पर शिक्षकों की नियुक्ति हुयी है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में योजना मद से नवनियुक्त उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति के तिथि से दस माह बीतने के पश्चात् भी वेतन भुगतान लंबित है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार धनबाद जिला में नवनियुक्त सभी उर्दू शिक्षकों को गैर योजना मद में रख कर अविलंब बकाया वेतन सहित नियमित वेतन भुगतान करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक,	योजना मद से वेतन भुगतान हेतु आवश्यक राशि का उपबंध बजट में कर लिया गया है। राशि जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवंटित कर दी गई है। योजना शीर्ष में स्वीकृत उर्दू शिक्षक के पदों को गैर योजना मद में हस्तांतरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/व.2-55/2015-3103. राँची, दिनांक 19/12/2015

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2976, दिनांक-22.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-06

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के उ0म0वि0 पोखरिया में छात्र-छात्राओं की संख्या वर्ग 1 से वर्ग 8 तक 282 है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उ0म0वि0 पोखरिया वर्ष 2013-14 में हाई स्कूल में उत्क्रमण हो चुका है, जिसमें वर्ग 9 से वर्ग 10 में छात्र-छात्राओं की संख्या-76 है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय में केवल 2 (दो) पारा शिक्षक के बदौलत विद्यालय चलता है जिससे पढ़ाई बाधित होती है;	अस्वीकारात्मक। दो पारा शिक्षकों के अतिरिक्त प्रश्नाधीन विद्यालय में दो शिक्षक प्रतिनियोजित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उक्त विद्यालय में सरकारी शिक्षक बहाल कराना चाहती है; हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उक्त विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जायेगी।

18/1/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व.2-60/2015- 3109 / राँची, दिनांक 19/12/2015

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-2944, दिनांक-14.12.15 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/15

सरकार के उप सचिव।

(69)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री चम्पाई सोरेन, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-02

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावाँ जिला में प्राथमिक शिक्षकों के ग्रेड-3,4,7 को प्रोन्नति नहीं दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित ग्रेड-3,4 के 155 पद तथा ग्रेड-7 के 98 पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित तथ्य के आलोक में सक्षम शिक्षकों के अभाव में अध्ययन-अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरायकेला-खरसावाँ जिला में ग्रेड- 3,4,7 के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 3027, दिनांक 14.12.15 द्वारा नीतिगत निर्णय संसूचित करते हुए पत्रांक 605 (विधि), दिनांक 15.12.15 द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया है।

18/12/15

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 16/वि.स.-15/2015-3101 /

राँची, दिनांक- 19/12/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-2764 दिनांक- 10.12.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के उप सचिव